

14/5/22

पत्रायली वादी अधिवक्ता के ^{मौखिक} निवेदन पर लोक
अदालत में पेश हुई। वादी ने जरिए वकील को
नोट पेस में खारिज करने का निवेदन किया। सुना
गया। पत्रायली का अवलोकन किया गया। पत्रायली
का वाद जरिए वकील नोट पेस में खारिज किया जाता है।
पत्रायली जैसल शुमा/ डीकर नाम से का है। वारिबल
दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर, सांचीर

Not present
Qdly
Amish

